सीमाशुल्क

खंड 85—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (41) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "धारा 14 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जा सकें। उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। उक्त खंड ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

खंड 86—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 14 की विद्यमान उपधारा (1) माल के धारणा मूल्य की संकल्पना पर आधारित है, किन्तु धारा 14 की उपधारा (1क) यह आदेश करती है कि आयातित माल की बाबत कीमत का अवधारण इस निमित्त बनाए गए नियमों के निबंधनानुसार किया जाएगा और उसके अधीन बनाए गए नियम विश्व व्यापार संगठन मूल्यांकन करार में यथा प्रतिस्थापित "संव्यवहार मूल्य" की संकल्पना पर आधारित हैं। "धारणा मूल्य" और "संव्यवहार मूल्य" की दोनों संकल्पनाओं में अंतर्निहित विरोध के कारण सीमाशुल्क अधिनियम के मूल्यांकन उपबंधों के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। "धारणा मूल्य" की संकल्पना के स्थान पर "संव्यवहार मूल्य" की संकल्पना प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा 14 को यह उपबंध किए जाने की दृष्टि से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कि आयातित माल और निर्यातित माल का मूल्य इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अवधारित ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आयातित माल की दशा में संव्यवहार मूल्य में ऐसी कोई रकम भी सम्मिलित होगी जिसका क्रेता लागत और सेवाओं के लिए, जिसके अंतर्गत कमीशन और दलाली, सहायता, इंजीनियरी, डिजाइन कार्य, स्वामिस्व और अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन के खर्चे, बीमा और संभलाई प्रभार भी हैं। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कहीं आयातित माल या निर्यातित माल का कोई विक्रय नहीं है या संव्यवहार मूल्य अवधारण योग्य नहीं है वहां ऐसे माल का मूल्य, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। उक्त खंड ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

खंड 87—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है, जो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप शुल्क के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख स्पष्ट करता है।

खंड 88—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ का, 'आवेदक' को परिभाषित करने से संबंधित खंड (ग) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि 'भारत में संयुक्त उद्यम' में कम से कम एक व्यक्ति अनिवासी होगा।

खंड 89—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है। इस समय भूल से संदाय की गई वापसी पर ब्याज मांग की तारीख से दो मास की समाप्ति के पश्चात् की तारीख से वसूली की तारीख तक धारा 28कक के अधीन नियत दर पर प्रभार्य है। संशोधन दावेदार को वापसी के संदाय की तारीख से आरंभ होने वाली और दावेदार से ऐसी वापसी की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 28कख के अधीन नियत दर पर ब्याज प्रभारित करने का प्रस्ताव करता है। ब्याज न केवल भूल से किए गए संदाय की दशाओं में अपितु ऐसी दशाओं में भी संदेय होगा, जहां संदाय की गई वापसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अन्यथा वसूलनीय है।

खंड 90—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 10क का लोप करने के लिए है जो विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित विशेष उपबंधों के बारे में है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के कारण उक्त अध्याय का लोप आवश्यक हो गया था।

खंड 91—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क का यह उपबंध करने की दृष्टि से उसके खंड (ख) को प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए है कि आवेदक समझौता प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले की बाबत ही समझौता आयोग के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है। इसमें यह और उपबंध है कि आवेदक अपील अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजे गए मामले की बाबत आवेदन फाइल करने के लिए हकदार नहीं होगा।

खंड 92—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख का, विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर उपधारा (1) और उपधारा (1क) रखने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि आवेदक ऐसे मामले की बाबत आवेदन फाइल करने का पात्र होगा जिसमें वह गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट अधिसूचना के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण को स्वीकार करता है किन्तु न कि, यथास्थिति, प्रवेशपत्र या पोतपत्र में सम्मिलित न किए गए माल की बाबत। इसमें यह और उपबंध है कि आवेदन फाइल करते समय वह उसके द्वारा स्वीकार किए गए सीमशुल्क की अतिरिक्त रकम तथा उस पर शोध्य अनुबंधित ब्याज जमा करेगा और इसमें न्यूनतम समझौता रकम को दो लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे आवेदन की बाबत जो 1 जून, 2007 से पूर्व फाइल किया गया था किन्तु आयोग के आदेश जारी होने के लिए लंबित रहते हुए, आवेदक स्वीकृत शुल्क को 30 जून, 2007 तक संदत्त कर देता है जिसके असफल रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

खंड 93—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग का, समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के निपटारे के प्रत्येक प्रक्रम पर समय सीमा विनिर्दिष्ट करने की दृष्टि से संशोधन करने हेतु प्रतिस्थापित करने के लिए है। इसमें, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत आदेश, 29 फरवरी, 2008 तक पारित किया जाएगा और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत आदेश आवेदन के नौ मास के भीतर पारित किया जाएगा। इसमें यह भी उपबंध है कि आयोग द्वारा आदेशित समझौते की रकम, किसी भी दशा में, आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी। इसमें यह भी उपबंध है कि समझौता रकम का संदाय आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा और आयोग द्वारा समझौते की रकम के संदाय के लिए कोई विस्तारण नहीं दिया जाएगा।

खंड 94—समझौता आयोग को 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किए गए आवेदनों के संबंध में पूर्ण कार्यवाहियों को पुनः आरंभ करने से निवारित करने की दृष्टि से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङ का संशोधन करने के लिए है।

खंड 95—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च का, धारा 127ग में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने के लिए है।

खंड 96—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज का, समझौता आयोग को भारतीय दंड संहिता या सीमाशुल्क अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति देने से वर्जित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है। इसमें यह भी उपबंध है कि समझौता आयोग को इस अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित ब्याज के संदाय से उन्मुक्ति देने की शक्ति नहीं होगी। आगे यह भी उपबंध है कि 31 मई, 2007 को समझौता आयोग के समक्ष लंबित मामलों का विनिश्चय विद्यमान उपबंध के अनुसार किया जाएगा।

खंड 97—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ञ का, धारा 127ग में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने के लिए है।

खंड 98—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ट का, धारा 127ग में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने के लिए है।

खंड 99—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ का, यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि आवेदक अपने जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही समझौते के लिए आवेदन कर सकता है जिससे कि समझौते की स्कीम को कर वंचकों द्वारा स्थायी निर्मुक्ति स्कीम के रूप में न माना जाए। इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे मामलों में जिनमें समान आवर्ती विवाद्यक अंतर्वलित हो, आवेदक समझौते के लिए आवेदन फाइल कर सकता है बशर्ते उसका पूर्ववर्ती आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित हो।

खंड 100—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङक का लोप करने के लिए है क्योंकि समय बीतने के साथ इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

खंड 101—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को पद पर न रहने पर उक्त अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने, कार्य या अभिवाक् करने से वर्जित करने की दृष्टि से उसमें एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित की जा सके।

खंड 102—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ का संशोधन करने के लिए है जिससे मुख्य आयुक्तों और आयुक्त को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने के लिए

उपलब्ध समय को एक वर्ष से कम करके तीन मास और उपधारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के लिए, यथास्थिति, अपील अधिकरण या आयुक्त अपील के समक्ष अपील फाइल करने के लिए उपलब्ध समय को तीन मास से कम करके एक मास किया जा सके या जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील फाइल करने में तीव्रता लाई जा सके और सरकार को अनुज्ञात अपील अवधि को निर्धारिती को अनुज्ञात अवधि के समकक्ष लाया जा सके।

खंड 103—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 का संशोधन करने के लिए है, जो सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शुल्क के अपवंचन और अधिरोपित प्रतिषेध के उल्लंघन से संबंधित अपराधों की बाबत कारावास और जुर्माने के रूप में शास्ति की सीमा विहित करती है।

धारा 135 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अंतर्वलित माल के मूल्य और शुल्क की रकम के आधार पर शास्ति का उपबंध किया जा सके। ऐसे माल, जिसका बाजार मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है या ऐसे मामलों की बाबत जिनमें तीस लाख रुपए से अधिक के शुल्क अपवंचन या वापसी का कपटपूर्ण उपभोग किया जाना अंतर्ग्रस्त है, सात वर्ष के अधिकतम दंड का उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है। धारा 135 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे प्रतिषिद्ध माल से संबंधित अपराधों के लिए दंड का उपबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दंड को तीन वर्ष के स्थान पर एक वर्ष तक रखे जाने का प्रस्ताव है जिसे न्यायालय द्वारा लिखित कारणों से शिथिल किया जा सकेगा।

खंड 104—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) का उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) को नए खंड (क) और खंड (कक) से प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंधों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति समाविष्ट की जा सके। उक्त खंड ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 105(i)—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,—

(1) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षकों, उपशीर्षकों या टैरिफ मदों के अधीन आने वाले माल की बाबत, यथास्थिति, सीमाशुल्क की मूल्यानुसार दर या सीमाशुल्क के मूल्यानुसार घटक को कम किया जा सके, अर्थात् :—

अध्याय 21 (2106 90), 22 (2207 10 और 2208), 25 (2510 के सिवाय), 26 (2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90), 27 (2701 12 00, 2709 00 00, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 और 2716 00 00 के सिवाय), 28 (2814 के सिवाय), 29 (2905 43 00 और 2905 44 00 के सिवाय), 30 (3006 60 के सिवाय), 31 (3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 और 3105 90 के सिवाय), 32, 33 (3301 और 3302 10 के सिवाय), 34, 35 (3506 और 3507), 36, 37, 38 (3809 10 00, 3818, 3823 और 3824 60 के सिवाय), 39, 40 (4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 और 4011 30 00 के सिवाय), 41 (4101, 4102 और 4103 के सिवाय), 42, 43 (4302, 4303 और 4304), 44 (4401, 4402 और 4403 के सिवाय), 45, 46, 47 (4707), 48, 49 (4902, 4904 00 00 और 4905 के सिवाय), 50 (5004, 5005, 5006 और 5007), 51 (5101, 5102, 5103 और 5105 29 10 के सिवाय), 52 (5201, 5202 और 5203 00 00 के सिवाय), 53 (5301 और 5302 के सिवाय), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (8407 21 00, 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60, 8443 32 90, 8443 99 10, 8443 99 20, 8443 99 30, 8443 99 40, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 59, 8456 90 10, 8469 00 10, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 और 8473 50 00 के सिवाय), 85 (8517, 8519 50 00, 8523 52, 8523 59 10, 8523 80 20, 8525 60, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8540 40 00, 8541, 8542 31 00, 8542 32 00, 8542 33 00, 8542 90 00, 8543 10 10, 8543 70 11, 8544 70 10 और 8544 70 90 के सिवाय), 86, 87 (8703, 8710 00 00 और 8711 के सिवाय), 88 (8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय), 89, 90 (9013 80 10, 9013 90 10, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80, 9030 40 00, 9030 82 00 और 9031 41 00 के सिवाय), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (9704 के सिवाय), 98 (9803 00 00 के सिवाय)।

(2) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षकों, उपशीर्षकों या टैरिफ मदों के अधीन आने वाले माल की बाबत अधिमानी क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क को कम किया जा सके, अर्थात् :—

अध्याय 29 (2917 37 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 और 2941), 30 (3001, 3002, 3003 और 3004), 34 (3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00), 38 (3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00 और 3815 12)।

उक्त खंड का उपखंड (ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे कि,—

(1) लौह अयस्क, सांद्रों और उसकी सभी किस्मों पर मूल्यानुसार धन सीमाशुल्क की विनिर्दिष्ट दर को लौह अयस्क, सांद्रों और उसकी सभी किस्मों पर सीमाशुल्क की विनिर्दिष्ट दर से प्रतिस्थापित किया जा सके; और

(2) विनिर्दिष्ट क्रोमाइट अयस्क और उसके सांद्रों पर सीमाशुल्क की मूल्यानुसार दर को विनिर्दिष्ट दर से प्रतिस्थापित किया जा सके।

उत्पाद-शुल्क

खंड 106—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) 'मुक्त व्यापार जोन' से संबंधित उपबंधों का, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधिनियम के कारण अनावश्यक हो गए हैं, लोप करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है। उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे 'विशेष आर्थिक जोन' के अर्थ को उस रीति से प्रतिस्थापित किया जा सके जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है।

खंड 107—अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप शुल्क के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख परिभाषित करने की दृष्टि से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के स्पष्टीकरण के खंड (आ) में नया उपखंड (ङग) अंतःस्थापित करने के लिए है।

खंड 108—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क का, 'आवेदक' को परिभाषित करने से संबंधित खंड (ग) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि 'भारत में संयुक्त उद्यम' में कम से कम एक व्यक्ति अनिवासी होगा।

खंड 109—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 का, उसके खंड (ग) को यह उपबंध करने की दृष्टि से प्रतिस्थापित करते हुए, संशोधन करने के लिए है कि आवेदक केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के लिए ही समझौता आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है। इसमें यह और उपबंध है कि निर्धारिती, अपील अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नए न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को वापस भेजे गए मामले की बाबत आवेदन फाइल करने का हकदार नहीं होगा।

खंड 110—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क का, उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे अध्यक्ष को तीन सदस्यों वाली न्यायपीठ का गठन करने के लिए सशक्त किया जा सके और उपाध्यक्ष का सदस्य न होने की दशा में, न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठतम सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

खंड 111—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ का, विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर उपधारा (1) और उपधारा (1क) रखे जाने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आवेदक ऐसे मामले की बाबत आवेदन फाइल करने के लिए पात्र होगा, जिसमें वह गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट अधिसूचना या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण को स्वीकार करता है न कि, ऐसे माल की बाबत जिसके लिए उसने विवरणी फाइल नहीं की है। इसमें यह और उपबंध है कि आवेदन फाइल करते समय वह उसके द्वारा

स्वीकार किए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अतिरिक्त रकम तथा उस पर शोध्य अनुबंधित ब्याज जमा करेगा और इसमें न्यूनतम समझौता रकम को दो लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे आवेदन की बाबत जो 1 जून, 2007 से पूर्व फाइल किया गया था किन्तु आयोग द्वारा आदेश जारी किए जाने के लिए लंबित है, आवेदक स्वीकृत शुल्क को 30 जून, 2007 तक संदत्त कर देता है जिसमें असफल रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

खंड 112—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च का, समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के निपटारे के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर समय सीमा विनिर्दिष्ट किए जाने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है। यह अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, आदेश 29 फरवरी, 2008 तक पारित किया जाएगा और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत आदेश आवेदन के नौ मास के भीतर पारित किया जाएगा। इसमें यह भी उपबंध है कि आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम आवेदक द्वारा स्वीकृत शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी। इसमें यह और उपबंध है कि समझौता रकम का संदाय आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाएगा और समझौता रकम के संदाय के लिए आयोग द्वारा कोई विस्तारण मंजूर नहीं किया जाएगा।

खंड 113—1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदनों के संबंध में पूर्ण हुई कार्यवाहियों के पुनः आरंभ करने से समझौता आयोग को वर्जित करने की दृष्टि से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज का संशोधन करने के लिए है।

खंड 114—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ का, धारा 32च में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने के लिए है।

खंड 115—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट का, समझौता आयोग को भारतीय दंड संहिता या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति देने से वर्जित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है। इसमें यह भी उपबंध है कि समझौता आयोग को इस अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित ब्याज के संदाय से उन्मुक्ति देने की शक्ति नहीं होगी। इसमें यह और उपबंध है कि 31 मई, 2007 को समझौता आयोग के समक्ष लंबित आवेदनों का विनिश्चय विद्यमान उपबंध के अनुसार किया जाएगा।

खंड 116—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड का, धारा 32च में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने के लिए है।

खंड 117—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ढ का, धारा 32च में किए गए संशोधनों की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए है।

खंड 118—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण का, यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि निर्धारिती अपने जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही समझौते के लिए आवेदन कर सकता है जिससे कि समझौते की स्कीम को कर वंचकों द्वारा स्थायी निर्मुक्ति स्कीम के रूप में न माना जाए। इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे मामलों में जिनमें समान आवर्ती विवाद्यक अंतर्वलित हो, आवेदक समझौते के लिए आवेदन फाइल कर सकता है बशर्ते उसका पूर्ववर्ती आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित हो।

खंड 119—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32तक का लोप करने के लिए है क्योंकि समय बीतने के साथ इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

खंड 120—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने के लिए मुख्य आयुक्तों और आयुक्त की समिति को उपलब्ध समय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से एक वर्ष से कम कर के तीन मास किया जा सके और केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र अपील फाइल किए जाने को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने के लिए उपधारा (4) के अधीन उपलब्ध समय को तीन मास से कम करके एक मास किया जा सके और सरकार को अनुज्ञात अपील अवधि को निर्धारिती को अनुज्ञात अवधि के समकक्ष लाया जा सके।

खंड 121—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35च का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस धारा के प्रयोजन के लिए "मांगे गए शुल्क" पद की परिधि को बढ़ाने की दृष्टि से उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की धारा 35च के अधीन पूर्व निक्षेप, लंबित अपील के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क के अतिरिक्त "मांगे गए शुल्क" पद की परिधि के भीतर धारा 11ग के अधीन अवधारित रकम; भूल से किए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग के अधीन संदेय रकम; केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन संदेय रकम; इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय ब्याज को सम्मिलित करने का उपबंध करता है।

खंड 122—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता, उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी पर शास्ति को उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट कारणों से दस हजार रुपए से घटाकर दो हजार रुपए किया जा सके। यह उक्त धारा की उपधारा (5) का भी संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को, जो अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन है, कब्जे में रखने, परिवहन करने, हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, विक्रय करने या क्रय करने के लिए, शास्ति को दस हजार रुपए से घटाकर दो हजार रुपए किया जा सके।

खंड 123—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,—

(क) भाग 1 में, वित्त विधेयक, 2007 के अधिनियमन की तारीख से; और

(ख) भाग 2 में, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से, कतिपय मदों और प्रविष्टियों का अंतःस्थापन, लोप या संशोधन किया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

खंड 124—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे अध्याय 24 के अधीन आने वाली सिगरेटों की विभिन्न किस्मों पर शुल्क में वृद्धि की जा सके। अध्याय 25 के अधीन आने वाले सीमेंट की कतिपय किस्मों पर टैरिफ दर को 400 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति टन किया जा सके, ऐसी सभी टैरिफ मदों पर, जिसके अंतर्गत अध्याय 54 और अध्याय 56 में नाइलोन फिशनेट फैब्रिक आते हैं, टैरिफ दर 12% विहित की जा सके। अध्याय 85 के अधीन आने वाले सभी प्रकार के टेलीविजनों, मानीटर आदि पर टैरिफ दर 16% या 34,000 रुपए, जो भी उच्चतर हो, से घटाकर 16% किया जा सके और अध्याय 88 के अधीन आने वाले हवाई जहाजों, हेलीकाप्टरों, अन्य वायुयानों और उनके पुर्जों पर टैरिफ की दर को कुछ नहीं से बढ़ा कर 16% किया जा सके।

सेवा कर

खंड 125—सेवा कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का, निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है, अर्थात् :—

उपखंड (अ) धारा 65 का उस तारीख से संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, जिससे कि,—

(क) डिजाइन सेवाओं, अंतर्वस्तु का विकास और प्रदाय, स्थावर संपत्ति का किराए पर देना, भाटक पर देना, पट्टे पर देना या अनुज्ञप्ति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था, दूरसंचार सेवा पदों को परिभाषित किया जा सके;

(ख) निम्नलिखित कराधेय सेवाओं की परिधि विनिर्दिष्ट की जा सके—बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं, कैब किराए पर देने की स्कीम प्रचालक सेवा, घटना प्रबंध सेवा, प्रबंधन, रखरखाव या मरम्मत सेवा, प्रबंधन या कारबार परामर्शी सेवा, मंडप कीपर सेवा, पंडाल या शामियाना ठेकेदार सेवा, परामर्शी इंजीनियरी सेवा, जनशक्ति भर्ती या पूर्ति सेवा, विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय का विक्रय, दूरसंचार सेवा, खनन सेवा, स्थावर संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवा, संकर्म संविदा के निष्पादन में उपलब्ध कराई गई सेवा, अंतर्वस्तु सेवा का विकास और पूर्ति, आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत विभाग प्रबंध और सभी प्रकार की निधि प्रबंध सेवा, डिजाइन सेवाएं भी है;

उपखंड (आ) धारा 66 को उस तारीख से प्रतिस्थापित करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, जिससे कि सभी कराधेय सेवाओं के लिए सेवा कर की दर को बारह प्रतिशत से बढ़ाकर तेरह प्रतिशत किया जा सके और निम्नलिखित सेवाओं को कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके:—

(क) दूरसंचार सेवा,

(ख) खनन सेवा,

(ग) कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में उपयोग के लिए स्थावर संपत्ति किराए पर देने की सेवा,

(घ) किसी संकर्म संविदा के, जिसके अंतर्गत सड़कों, विमानपत्तनों, रेलों, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों की बाबत संकर्म संविदा नहीं हैं, निष्पादन में उपलब्ध कराई गई सेवाएं,

(ङ) दूरसंचार सेवाओं, विज्ञापन अभिकरण सेवाओं और ऑनलाइन सूचना तथा डाटा आधारित पहुंच या पुनर्सुधार सेवाओं में प्रयोग के लिए अंतर्वस्तु सेवा का विकास और प्रदाय,

(च) आस्ति प्रबंध, जिसके अंतर्गत विभाग प्रबंध और किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी प्रकार की निधि प्रबंध सेवा भी है (किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान भी है, द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा पहले ही कराधेय सेवा के रूप में विनिर्दिष्ट है,

(छ) डिजाइन सेवाएं;

उपखंड (इ) धारा 70 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए सशक्त किया जा सके कि वह निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने वाली रकम विहित करे, यदि विहित विवरणी देने में कोई विलम्ब हुआ हो।

उपखंड (ई) धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे सेवा कर से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14कक और धारा 38क को लागू किया जा सके।

उपखंड (उ) निम्नलिखित की दृष्टि से धारा 86 का संशोधन करने के लिए है:—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्तों या दो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समितियां गठित करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड से सशक्त करने के लिए उपधारा (1क) का अन्तःस्थापन;

(ii) धारा 73 या धारा 83क या धारा 84 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील फाइल करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को निदेश देने के प्रयोजन के लिए "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्तों की समिति" रखने के लिए उपधारा (2) का संशोधन;

(iii) धारा 85 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील फाइल करने के लिए किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को निदेश देने के प्रयोजन के लिए "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखने के लिए उपधारा (2क) का संशोधन;

उपखंड (ऊ) धारा 94 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को विवरणी दिए जाने का प्ररूप, उसकी रीति और आवृत्ति तथा निर्धारिती द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70 के अधीन विवरणी देने में विलम्ब के लिए विलम्ब फीस विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके;

उपखंड (ए) धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार का इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा सम्मिलित की गई किसी कराधेय सेवा का वित्त विधेयक, 2007 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक कार्यान्वयन, वर्गीकरण या मूल्य निर्धारण की दशा में कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड (ऐ) 'आवेदक' की परिभाषा से संबंधित खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करते हुए धारा 96क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि भारत में 'संयुक्त उद्यम' में कम से कम एक व्यक्ति अनिवासी होगा।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

खंड 126—माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण के लिए संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करता है। अध्याय 6 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की धनराशि का उपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् धारा 126 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

खंड 127—यह उपबंध करता है कि अध्याय 6 में प्रयुक्त और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उनके, यथास्थिति, उन अधिनियमों या अध्याय में है।

खंड 128—ऐसे सभी उत्पाद-शुल्कों के (जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क भी हैं किन्तु उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किए जाते हैं, के कुल योग पर परिकलित एक प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के लिए उपबंध करता है।

खंड 129—ऐसे सीमाशुल्कों के, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और सगृहीत किया जाता है, योग पर परिकलित एक प्रतिशत की दर से आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उपबंध करता है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में कोई राशि प्रभार्य होगी किंतु इसके अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5), धारा 8ख और धारा 8ग, धारा 9 और धारा 9क में निर्दिष्ट (क) अतिरिक्त शुल्क, (ख) रक्षोपाय शुल्क, (ग) प्रतिशुल्क, (घ) प्रतिपाटन शुल्क और आयातित माल पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है।

खंड 130—ऐसे कर पर, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है परिकलित एक प्रतिशत की दर से कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के लिए उपबंध करता है।

खंड 131—वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 और धारा 94 का, शिक्षा उपकर की संगणना के प्रयोजन के आधारों के रूप में, क्रमशः सभी उत्पाद-शुल्कों और सीमाशुल्कों के योग से प्रस्तावित 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' को अपवर्जित करने की दृष्टि से भी संशोधन करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

प्रकीर्ण

खंड 132—केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (iiघ) का यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलो ग्राम से कम के अधिकतम उठान द्रव्यमान के वायुयान को विक्रय किया गया विमानन टरबाइन ईंधन अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माल की सूची में सम्मिलित किया जाएगा जिससे कि इस उपबंध को, माल को, किसी प्रकार के सभी वायुयानों को, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वे टरबो-प्रोप है अथवा अन्य है, अंतर्गत लाने के लिए इस उपबंध को ऐसे लघु वायुयानों को विक्रय किए गए विमानन टरबाइन ईंधन पर विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर की दर को निर्बंधित करके देश के दूरस्थ भागों के साथ वायु संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से तर्कसंगत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, "अनुसूचित एयरलाइनों" पद को परिभाषित करने की दृष्टि से एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का प्रस्ताव है।

खंड 133—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे शीर्ष 5211 20 50 और 5514 50 12 में टैरिफ मदों को प्रतिस्थापित किया जा सके, ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची से उसका सामंजस्य बनाया जा सके।

खंड 134—वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 7 की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे बैंककारी नकद संव्यवहारों, जिसके अंतर्गत उक्त अध्याय के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएं हैं, से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (5) "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा के लिए उपबंध करता है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई कार्यालय या स्थापन भी है। किन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की ऐसी अनेक स्कीमें हैं जहां नकद संदायों से नहीं बचा जा सकता। इसलिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के कार्यालय और स्थापनों को बैंककारी नकद संव्यवहार कर में "व्यक्ति" की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा का खंड (8) 'कराधेय बैंककारी संव्यवहार' को परिभाषित करता है। उक्त खंड (8) के उपखंड (क) की मद (i) में यह उपबंध है कि 'कराधेय बैंककारी संव्यवहार' से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जो किसी अनुसूचित बैंक में रखे गए किसी खाते से (किसी बचत बैंक खाते से भिन्न) किसी एकल दिवस को पच्चीस हजार रुपए से अधिक नकद का निकाला जाना (किसी भी रीति से) है, यदि किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के खाते से इस प्रकार नकद निकाले जाते हैं। इसी प्रकार उक्त खंड (8) के उपखंड (ख) की मद (i) में यह उपबंध है कि 'कराधेय बैंककारी संव्यवहार' से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जो किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को पच्चीस हजार रुपए से अधिक की उस बैंक से एक या अधिक आवधिक निक्षेप की परिपक्वता पर या अन्यथा नकदीकरण के संबंध में प्राप्ति संव्यवहार किया जाता है, यदि किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के खाते से इस प्रकार नकद निकाले जाते हैं। कराधेय बैंककारी संव्यवहार की विद्यमान सीमा को वर्तमान में पच्चीस हजार रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।